न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2019 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री पवन कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा विक्रेता
   एफबीओ मैसर्सः— कृष्णा दूध डेयरी, पंचायत समिति के पीछे, लालसोट जिला दौसा।
2. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा मालिक
   एफबीओ मैसर्सः— कृष्णा दूध डेयरी, पंचायत समिति के पीछे, लालसोट जिला दौसा।

— अभियुक्तगण—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: श्री अभिनन्दन गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 व 2 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 27.04.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 27.10.2018 को दोपहर 01:30 बजे मैसर्सः— कृष्णा दूध डेयरी, पंचायत समिति के पीछे, लालसोट जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री पवन कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा विक्रेता उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक फ्रीज में ग्रे कलर की एल्यूमीनियम की कैन में करीबन 40 किग्रा दही (मिश्रित दूध से तैयार) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जॉच हेतु 800 ग्राम दही (मिश्रित दूध से तैयार) खरीदा जिसे विक्रेता ने हिलामिलाकर एक साफ सूखी एवं खाली स्टील की भगोनी में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 32 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 800 ग्राम दही (मिश्रित दूध से तैयार) को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक में 16—16 बूंद फार्मलीन की डालकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर

बोतलो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–2025 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी. ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 29.10.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 29.10.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 30.10.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ दही (मिश्रित दूध से तैयार) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1884/एक्ट/2018/586 दिनांक 24.12.2018 के अनुसार उक्त नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1884/एक्ट/2018/586 दिनांक 24.12.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ दही (मिश्रित दूध से तैयार) के नमूने मे **Milk fat** की मात्रा 3.78 प्रतिशत ही पाई गई है, जो कि कम से कम 4.50 प्रतिशत होनी चाहिए। उक्त खाद्य पदार्थ दही (मिश्रित दूध से तैयार) के नमूने में **Milk fat** का प्रतिशत तय मानको से कम पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ दही (मिश्रित दूध से तैयार) का विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने द्वारा जो नमूना लिया गया है वह जांच रिपोर्ट में सबस्टैण्डर्ड आया है लेकिन इस्तगासे में यह कही भी नहीं लिखा है कि किस बात के लिये सबस्टैण्डर्ड माना गया है। यह इस्तगासा विधि एवं विधान के विपरीत होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल की कार्यवाही करने से पहले एफबीओ को कोई लिखित मे नोटिस नहीं दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सारी कार्यवाही स्वयं एवं अपने साथ लेकर गये कर्मचारी के साथ आपस में बैठकर की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर दो स्वतंत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गवाहो को नही बुलाया ऐसी सूरत में उक्त आवेदन चलने योग्य नहीं है व प्राथमिक रूप से ही निरस्तनीय है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उनवानी प्रकरण में निर्माता कम्पनी को अभियुक्त ही नहीं बनाया गया। इस प्रकार बिना कम्पनी को अभियुक्त बनाये उक्त इस्तगाया चलने योग्य नहीं है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1884/एक्ट/2018/586 दिनांक 24.12.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ दही (मिश्रित दूध से तैयार) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ दही (मिश्रित दूध से तैयार) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 श्री पवन कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा विक्रेता एफबीओ मैसर्सः– कृष्णा दूध डेयरी, पंचायत समिति के पीछे, लालसोट जिला दौसा तथा अप्रार्थी अभियुक्त सं. 2 श्री रविन्द्र कुमार शर्मा एफबीओ मैसर्सः– कृष्णा दूध डेयरी, पंचायत समिति के पीछे, लालसोट जिला दौसा मालिक पर 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 27.04.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
दिनांकः–

क्रमांक /
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री पवन कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा विक्रेता
   एफबीओ मैसर्सः– कृष्णा दूध डेयरी, पंचायत समिति के पीछे, लालसोट जिला दौसा।
4. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा मालिक
   एफबीओ मैसर्सः– कृष्णा दूध डेयरी, पंचायत समिति के पीछे, लालसोट जिला दौसा।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा